संख्या- 45/2018/1465/**33-3-2018-110/2012**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: 10 मई, **2018**

विषय:-मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वच्छ भारत समर इन्टर्नशिप' के शुभारम्भ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव के अर्धशासकीय पंत्र संख्या:-**2/2/S(DWS)/18** दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छता को जन आन्दोलन बनाने के उद्देश्य से 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया गया है। इस क्रम में स्वच्छता को वास्तविक जन आन्दोलन बनाने के लिए **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**, **भारत सरकार के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**, **भारत सरकार द्वारा** 'स्वच्छ भारत समर इन्टर्नशिप' **का शुभारम्भ दिनांक** 01 **मई**, 2018 **से प्रारम्भ किया जा रहा है।**

दिनांक 01 **मई**, 2018 **से** 31 **जुलाई की अवधि में न्यूनतम** 100 **घण्टे की की इन्टर्नशिप महाविद्यालयो/विश्वविद्यालयों में पंजीकृत छात्रों और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सदस्यो द्वारा की जायेगी। प्रत्येक संस्थान/नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कम से कम एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जिसके द्वारा छात्रों/युवकों को इन्टर्नशिप की अवधि में मार्ग-दर्शन दिया जायेगा। इन्टर्नशिप के पंजीकरण और रिपोर्ट को अपलोड करने हेतु एक पोर्टल (https://sbsi.mygov.in) विकसित किया गया है। इस इन्टर्नशिप में अधिकाधिक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिभागिता के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा एक प्रचार अभियान आयोजित किया जायेगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कैम्पस स्तर पर मोबलाइजेशन किया जायेगा। इन्टर्नशिप से सम्बन्धित भारत सरकार से प्राप्त मार्ग-दर्शिका संलग्न है।

इन्टर्नशिप की अवधि में प्रतिभागियों द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियों को निम्नलिखित दो क्लसटर में श्रेणीबद्ध किया गया है :-

(1) सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

(2) ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन से सम्बन्धित गतिविधियां

उक्त इन्टर्नशिप से युवकों को तथा ग्रामीण भारत को स्वच्छता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाना तथा स्वच्छता सुविधाओं के सृजन में सहायता पहुंचाना अपेक्षित है। इससे स्वच्छ भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में सही प्रेरणा भी उपलब्ध होगा।

अतः अनुरोध है कि जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित ऐजेन्सियों, जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों की तत्काल एक बैठक आयोजित कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः-तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 **शासन को भारत सरकार के उक्त पत्र एवं मार्ग-दर्शिका संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।**

2-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-समस्त मुख्य विकास अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।

5-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को अनुपालनार्थ।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।